न्यायालय सेशन न्यायाधीश, श्रीगंगानगर (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी : **रविन्द्र कुमार**

आदेश दिनांक : **12.03.2026**

दांडिक प्रकीर्ण प्रकरण सं. : **146/2026**

(CNR NO. RJSG010004542026)

उमरप्रीत सिंह उर्फ लाडी पुत्र गुरविंद्र सिंह , उम्र 20 साल, निवासी गांव सतिरवाला, पुलिस थाना खुई खेडा जिला फाजिल्का, पंजाब।

–प्रार्थी

विरुद्ध

राजस्थान राज्य –अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र जमानत अंतर्गत धारा 483 भा.न्या.सु.सं., संबद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 386/2025 अन्तर्गत धारा 308(5), 111(2)(बी), 118(1), 61(2)(ए) भा.न्या.सं., आरक्षी केन्द्र कोतवाली, श्रीगंगानगर।

प्रतिनिधित्वः

1. श्री वेदप्रकाश नारंग, अधिवक्ता प्रार्थी।
2. लोक अभियोजक राज्य पक्ष की ओर से।

न्यायालय द्वाराः–

–:: **आदेश** ::–

1. प्रार्थी–अभियुक्त उमरप्रीत सिंह उर्फ लाडी की ओर से उसके अधिवक्ता ने दिनांक 11.03.2026 को यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत किया। अनुसंधान पत्रावली आहूत कर अवलोकन किया गया। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 11.09.2025 को परिवादी अनिकेत ने एक लिखित प्रार्थना–पत्र आरक्षी केन्द्र कोतवाली श्रीगंगानगर के समक्ष प्रस्तुत कर अभिव्यक्त किया कि इसकी दुकान मनोकामना फैशन के नाम से 33, 37 आदर्श नगर श्रीगंगानगर में है। दिनांक 24.08.2025 को शाम को करीब 7.21 बजे इसके भाई साहिल के मोबाईल पर व्हाटसअप के माध्यम से कॉल आई और पचास लाख रुपए की फिरौती की मांग की और अपना नाम विशाल पचार बताया तथा धमकाया कि रुपए नहीं दिए तो दोनों दुकानों को पेट्रोल पम्प से जला दूंगा एवं तेरे व तेरे परिवार को गोली मार दूंगा। इसके भाई साहिल को विशाल पचार द्वारा दूसरे व्हाटसअप कॉल के माध्यम से

बार-बार कॉल आई व उसने डराया, धमकाया तथा फिरौती की मांग की, जिस संबंध में उसके साथ बातचीत करता रहा। दिनांक 03.09.2025 को रात्रि 9.45 बजे जब यह और इसका भाई दुकान के बाहर बैठे थे, उसी समय दो अज्ञात व्यक्ति बाईक पर सवार होकर दुकान के पास आए और एक कांच की बोतल में पेट्रोल भरकर आग लगाकर इनकी दुकान की तरफ फेंका, जो दुकान के थड़ा पर ही फट गया। उस समय दुकान के सामने खड़ा गोल-गप्पे वाला राजकुमार केवट उसकी चपेट में आ गया और वह जल गया। इसके भाई के मोबाईल नंबर पर दोबारा विशाल पचार ने कॉल कर बताया कि नजारा देख लिया है, फिरौती दे, नहीं तो अगली बार बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ...इत्यादि। इस रिपोर्ट के आधार पर आरक्षी केंद्र कोतवाली, श्रीगंगानगर में प्रथम सूचना संख्यांक 386/2025 संस्थित होकर अन्वेषणाधीन है।

3. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी-अभियुक्त ने बहस के दौरान जमानत आवेदन में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया कि प्राथमिकी विलंब से दर्ज करवाई गई व प्रार्थी-अभियुक्त प्राथमिकी में नामजद नहीं हैं, उसे उक्त प्रकरण में मिथ्या आलिप्त किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त के द्वारा किसी प्रकार का कोई कृत्य नहीं किया गया है। प्रार्थी-अभियुक्त से कोई बरामदगी नहीं हुई है। वह गिरफ्तारी की तिथि से अभिरक्षा मे चला आ रहा है। प्रार्थी-अभियुक्त प्रार्थना-पत्र में दर्शित पते का स्थायी निवासी है, जिसके भागने का अन्देशा नहीं है। अतः प्रार्थी को जमानत की सुविधा अनुज्ञात करने का निवेदन किया।

4. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत प्रार्थना-पत्र का विरोध कर जमानत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने का निवेदन किया।

5. उभय पक्ष के तर्कों पर मनन किया गया। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध विवरण अनुसार प्रार्थी की पूर्ववर्ती आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं है। हस्तगत प्रकरण में अनुसंधान अभिकरण द्वारा प्रस्तुत तथ्यात्मक प्रतिवेदन के अनुसार दिनांक 03.09.2025 को प्रार्थी-अभियुक्त उमरप्रीत सिंह उर्फ लाडी, सहअभियुक्त करण के साथ मिलकर विशाल पचार व उसके आपराधिक गैंग के सदस्य के रूप में काम करते हुए परिवादी पक्ष की कपड़ों की दुकान के थड़ा पर पेट्रोल बम तैयार कर फेंका गया, जिससे परिवादी की दुकान के थड़ा पर पेट्रोल बम फटा, जिससे दुकान के पास गोलगप्पे की रेहड़ी लगाने वाला राजकुमार केवट उसकी चपेट में आ गया। तत्पश्चात् विशाल पचार द्वारा परिवादी पक्ष से पचास लाख रुपए की मांग की जाना

दर्शाया गया है। वर्तमान में इस प्रकार की घटनाओं में दिन–प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, जिससे आमजन में अपने जमा पूंजी के प्रति असुरक्षा की भावना पनप रही है। प्रार्थी के विरुद्ध संगठित व आर्थिक अपराध का गंभीर आरोप है। अतः ऐसे अपराधों पर अंकुश लगाए जाने की विधिक अपेक्षा बलवती रूप से उद्भूत होने व समस्त तथ्यों–परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति व गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए गुणावगुण पर टिप्पणी किए बिना प्रार्थी को जमानत की सुविधा अनुज्ञात किए जाने हेतु यह मामला उपयुक्त प्रतीत नहीं होता है।

6. **निष्कर्षतः** प्रार्थी–अभियुक्त उमरप्रीत सिंह उर्फ लाडी की ओर से प्रस्तुत हुआ यह जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा **अस्वीकार** किया जाता है।

(रविन्द्र कुमार)

7. आदेश आज दिनांक 12.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रविन्द्र कुमार)

ARASH CHAWLA
Steno Grade II
"Authenticate document"
Digitally signed by ARASH CHAWLA
Date: 2026.03.12 14:05:14 +0530